न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/178/2024 रजू दिनांकः 31.12.2024 रजि0 न0 2024/296

अपीलार्थीः—

श्री राव धनबीर सिंह, निवासी म0न0 2 आई 40, रामकृष्ण पुरम कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, रामसिंह पुरा, कोटपुतली—303108, जिला कोटपूतली—बहरोड़ (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर), अलवर (राजस्थान)

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 13.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 13.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्रांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2025/48 दिनांक 10.01.2025 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक 29.09.2024 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने/विनिश्चय से अवगत नही कराये जाने बाबत सूचित किया गया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 29.09.2024 के माध्यम से श्रीमान् उप निबंधक (जांच) राजस्व मंडल राज. अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक 940 दिनांक 26 मई 2024 तथा 2177 दिनांक 11 जुलाई 2024 की पालना में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर राजस्थान व अन्य द्वारा की गई कार्यवाही की संपूर्ण पत्रावली मय सभी पत्रों सहित प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई थी। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उपरोक्त संदर्भित पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए है और ना ही सूचना आवेदन ही इस कार्यालय का संबोधित है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर पृथक कार्यालय नहीं है, जिला कलक्टर महोदय अलवर के कार्यालय से संबंधित सूचना होने के कारण ऑनलाईन पोर्टल पर पत्र सं. 6241559505 दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल पर पत्र सं. 6241559505 दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/49 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)